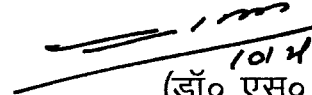


ज्ञापांक-4/मं०सं०/का०का०(गठन)-1379/10 47.....पटना-15, दिनांक-13.02.2023

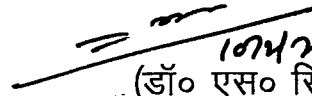
प्रतिलिपि-सभी माननीय प्रभारी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि माननीय मंत्रीगण को अवगत कराने की कृपा की जाय।


10/4/2023
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव

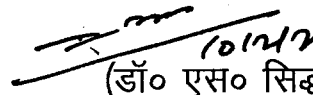
ज्ञापांक-4/मं०सं०/का०का०(गठन)-1379/10 47.....पटना-15, दिनांक-13.02.2023

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


10/4/2023
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव

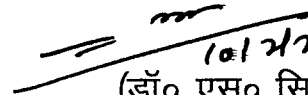
ज्ञापांक-4/मं०सं०/का०का०(गठन)-1379/10 47.....पटना-15, दिनांक-13.02.2023

प्रतिलिपि-सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


10/4/2023
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव

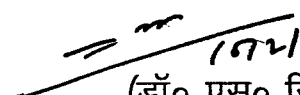
ज्ञापांक-4/मं०सं०/का०का०(गठन)-1379/10 47.....पटना-15, दिनांक-13.02.2023

प्रतिलिपि-मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


10/4/2023
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-4/मं०सं०/का०का०(गठन)-1379/10 47.....पटना-15, दिनांक-13.02.2023

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


10/4/2023
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

124

-:: संकल्प ::-

दिनांक 18.11.2016

अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने, कमजोर वर्गों के परिवारों को सहायता दिलाने हेतु तथा राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन की व्यवस्था है। जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यों को और प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत सभी विभागीय संकल्प/अधिसूचना द्वारा की गयी व्यवस्था को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरांत निम्नरूपेण जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के पुनर्गठन तथा तत्संबंधी अन्य व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।

2. जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है। समिति के मनोनीत/नामित सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से अगले आदेश तक मान्य होगा। इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे :-

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	जिला के प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
2.	मुख्य मंत्री द्वारा नामित	तीन उपाध्यक्ष
3.	जिला के लोक सभा सदस्य।	पदेन सदस्य
4.	जिला के वैसे राज्य सभा के सदस्य जिनका गृह जिला प्रश्नगत जिला में अवस्थित हो।	पदेन सदस्य
5.	जिला के विधान सभा के सभी सदस्य	पदेन सदस्य
6.	जिला के वैसे विधान परिषद् के सदस्य, जिनका गृह जिला प्रश्नगत जिला में अवस्थित हो।	पदेन सदस्य
7.	जिला परिषद् के अध्यक्ष।	पदेन सदस्य
8.	जिला नगर निगम के महापौर/नगर परिषद्/नगर पंचायत के अध्यक्ष	पदेन सदस्य
9.	मुख्य मंत्री द्वारा नामित 30 सदस्य होंगे, जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिला वर्ग के प्रतिनिधि भी अवश्य हों।	सदस्य
10	जिला पदाधिकारी	सदस्य सचिव

3. इसके अतिरिक्त उप विकास आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक, जिला में अवस्थित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक तथा नाबार्ड के डी०डी०एम० पदेन सदस्य होंगे।

3.1. अध्यक्ष (प्रभारी मंत्री) की स्वीकृति से समिति की बैठक प्रत्येक माह में एक बार होगी।

4. यह बैठक दो सत्रों में होगी। पहले सत्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक होगी। द्वितीय सत्र में जिला के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों के कार्यवाही प्रतिवेदन एवं अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रखंडों में नियमित बैठक हो रही है या नहीं, इसकी समीक्षा की जाएगी, जिसमें प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी भी भाग लेंगे।

प्रत्येक बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी से, किसी मामले में हुई अनियमितता से अथवा पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा के संबंध में सदस्य सचिव (जिला पदाधिकारी) संबंधित विभाग को प्रतिवेदन सौंपेंगे। प्रखंड स्तर पर दिए गए प्रतिवेदन की समीक्षा हेतु जिला स्तर पर एक कोषांग गठित किया जायेगा।

123

5. जिला स्तरीय समिति के कृत्य एवं दायित्व :
- 5.1 राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की मदवार समीक्षा (अनुलग्नक 'क' पर सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की सांकेतिक सूची संलग्न है)।
- 5.2 बीस-सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा (अनुलग्नक 'ख')।
- 5.3 राज्य सरकार के सात निश्चय एवं सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के कार्यान्वयन की समीक्षा।
- 5.4 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा।
- 5.5 योजना एवं विकास, श्रम-संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत जनहित की योजनाएँ।
- 5.6 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत जनहित की सभी योजनाएँ।
- 5.7 समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित सभी जनोपयोगी योजनाएँ।
- 5.8 सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, पर्यावरण एवं वन, लघु जल संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित जनोपयोगी योजनाएँ।
- 5.9 उद्योग, पर्यटन, गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित जनोपयोगी योजनाएँ।
- 5.10 पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग से संबंधित जनोपयोगी योजनाएँ।
- 5.11 मनरेगा, इन्दिरा आवास एवं आजीविका मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा।
- 5.12 कृषि रोड मैप अंतर्गत योजनाओं (बैंकों के सहयोग पर आधारित योजनाओं सहित) के कार्यान्वयन की समीक्षा।
- 5.13 बिहार भू-जल सिंचाई योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा।
- 5.14 ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अलावा ग्रामीण कार्य विभाग के तथा अन्य ग्रामीण पथ एवं पुल-पुलिया से संबंधित योजनाओं की समीक्षा।
- 5.15 शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पेयजल योजनाओं की समीक्षा।
- 5.16 वन विस्तार के अलावा हॉर्टिकल्चर मिशन को बड़े पैमाने पर लागू करने की दिशा में पहल।
- 5.17 बेरोजगारी से निपटने के लिए स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार।

5.18 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों एवं भूमिहीनों को कृषि/ग्रामीण विकास/राजस्व एवं भूमि सुधार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के अलावा इन्हें स्वयं सहायता समूह में संगठित करने की समीक्षा।

5.19 बैंको द्वारा विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषित बड़ी-बड़ी योजनाओं की समीक्षा, जिसमें नाबार्ड की आर०आई०डी०एफ० योजना भी सम्मिलित होगी।

5.20 अध्यक्ष महोदय के निदेश पर अन्यान्य बिन्दु।

6. जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के तीनों उपाध्यक्षों के लिए संयुक्त रूप से एक कमरे का कार्यालय कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। तीनों उपाध्यक्षों की सहायता के लिए संयुक्त रूप में उपलब्ध कार्यबल से ही अंशकालिक रूप से एक डाटा ऑपरेटर अथवा लिपिक तथा एक अनुसेवक की सेवा सदस्य सचिव द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। इस हेतु कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

7. बैठक में भाग लेने के लिए सरकारी सदस्यों, सांसदों, विधान मंडल के सदस्यों को छोड़कर शेष के लिए दैनिक भत्ता के रूप में ₹200/- (दो सौ रुपये) तथा यात्रा-भत्ता ₹500/- (पाँच सौ पचास रुपये) प्रति बैठक देय होगा। दैनिक भत्ता/यात्रा-भत्ता उन्हें समिति की बैठक में भाग लेने पर ही अनुमान्य होगा।

8. तीनों उपाध्यक्षों को नियत आतिथ्य भत्ता के रूप में ₹1000/- (एक हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह देय होगा।

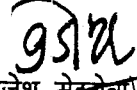
9. जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के तीनों उपाध्यक्षों को अपने क्षेत्राधिकार के अंदर कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों के स्थल अध्ययन (यदि आवश्यक हो) हेतु की जाने वाली यात्रा के लिए महीने में एक-एक दिन परिवहन की सुविधा (भाड़े की गाड़ी) एक सप्ताह पूर्व प्राप्त उपाध्यक्षों की अध्याचनानुसार जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

10. अध्यक्ष के निदेश पर कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु उप समिति गठित की जा सकेगी, लेकिन इसका कार्य एवं दायित्व किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित कराया जाय।

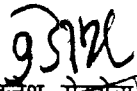
अनु० :- यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(ब्रजेश मेहरोत्रा) 18/11/16
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-4/मं०सं०का०का०(गठन)01/2011(पार्ट-1) 383 पटना-15, दिनांक 18.11.2016

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्रीगण एवं अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

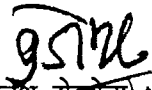

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 18/11/16
सरकार के प्रधान सचिव

(12)

- 4 -

ज्ञापांक-4/मंसकाका(गठन)01/2011(पार्ट-1).....383 पटना-15, दिनांक 18-11-2016

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/अध्यक्ष एवं सदस्य, राजस्व पर्यद/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/साधव/उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश मेहरोत्रा) 18/11/16
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-4/मंसकाका(गठन)01/2011/.....383 पटना-15, दिनांक 18-11-2016

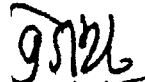
प्रतिलिपि - सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी जिला के उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ।

2. जिला पदाधिकारी अपने अनुमंडल पदाधिकारियों/जिला के तकनीकी पदाधिकारियों को इसकी एक प्रति उपलब्ध करायेंगे। इसी तरह आरक्षी अधीक्षक अपने सभी आरक्षी उपाधीक्षकों को इसकी प्रति उपलब्ध करायेंगे।


(ब्रजेश मेहरोत्रा) 18/11/16
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-4/मंसकाका(गठन)01/2011(पार्ट-1).....383 पटना-15, दिनांक 18-11-2016

प्रतिलिपि - राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प का 1000 (एक हजार) प्रतियाँ अविलंब मुद्रित कर इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।


(ब्रजेश मेहरोत्रा) 18/11/16
सरकार के प्रधान सचिव

**कार्यक्रम कार्यान्वयन की दृष्टि से समीक्षा की जानेवाली योजनाओं की
सांकेतिक सूची**

शिक्षा विभाग	
1	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण
2	निःशुल्क पोशाक
3	मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना
4	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना
5	मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण योजना
6	मध्याह्न भोजन योजना (एम०डी०एम०)
7	मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना
8	मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना
9	बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना – निश्चय
पर्यावरण एवं वन विभाग	
10	कृषि वानिकी एवं वानिकी से संबंधित अन्य सभी योजनाएँ
11	राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	
12	गोदाम निर्माण
13	जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न/किरासन तेल की आपूर्ति
श्रम संसाधन विभाग	
14	नये आई०टी०आई० की स्थापना
15	महिलाओं के लिए नये आई०टी०आई० की स्थापना
16	बिहार कौशल विकास मिशन
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	
17	अल्पसंख्यक छात्रावास योजना
18	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
19	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना
20	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	
21	ग्रामीण पाईप जल आपूर्ति योजना – निश्चय पाइप जल योजना
22	लघु पाईप जल आपूर्ति योजना – निश्चय पाइप जल योजना
23	बी०पी०एल० परिवार के लिए शौचालय का निर्माण – निश्चय योजना

24	ए०पी०एल० परिवार के लिए शौचालय का निर्माण – निश्चय योजना
पंचायती राज विभाग	
25	14वें केन्द्रीय वित्त आयोग से संबंधित योजनाएं
26	चतुर्थ एवं पंचम राज्य वित्त आयोग से संबंधित योजनाएं
ग्रामीण कार्य विभाग	
27	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (एम०एम०जी०एस०वाई०) – निश्चय योजना
28	नाबार्ड/आर०आई०डी०एफ० द्वारा वित्त संपोषित राज्य योजनाएँ (सड़क एवं पुल-पुलियों का निर्माण)
29	मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना
30	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी०एम०जी०एस०वाई०)
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	
31	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति आवासीय विद्यालय योजना
32	बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा संचालित योजनाएं
33	थरुहट क्षेत्र विकास योजना
34	बालक छात्रावास का निर्माण
35	बालिका छात्रावास का निर्माण
समाज कल्याण विभाग	
36	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
37	राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना
38	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
39	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना
40	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
41	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
42	निःशक्तजनों के लिए राष्ट्रीय योजना
43	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
44	बिहार निःशक्तता पेंशन योजना
45	राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
46	कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना
47	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना
48	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना
49	मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना
50	समेकित बाल विकास योजना (ICDS)

नगर विकास एवं आवास विभाग

51	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
52	अटल मिशन फॉर अर्बन रिज्यूविनेशन एण्ड ट्रांसफॉरमेसन (AMRUT)
53	सबके लिए आवास
54	नगर क्षेत्र में पेयजल, शौचालय एवं गली-नाली योजनाओं से संबंधित — निश्चय

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

55	लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण
56	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना
57	जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास

सहकारिता विभाग

58	कृषि रोड मैप अन्तर्गत संचालित योजनाएं
59	फसल बीमा योजना
60	पैक्स/व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण एवं चावल मिल-सह- गैसीफायर की स्थापना

ग्रामीण विकास विभाग

61	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा)
62	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)
63	बिहार आजीविका योजना
64	इंदिरा आवास योजना

कृषि विभाग

65	कृषि रोड मैप से संबंधित योजनाएँ
66	डीजल अनुदान
67	कृषि यांत्रिकीकरण
68	राष्ट्रीय एवं राज्य बागवानी मिशन

लघु जल संसाधन विभाग

69	बिहार शताब्दी निजी नलकूल योजना
70	नाबार्ड टयूबवेल योजना, आर०आई०डी०एफ० के अधीन

योजना एवं विकास विभाग

71	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP)
72	मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना
73	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
74	स्वयं सहायता भत्ता — निश्चय

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

75	सक्षम कोटि के गृह विहीन परिवारों को वास भूमि की बन्दोबस्ती
76	गैर मजरूआ जमीन की बंदोबस्ती
77	भूदान बंदोबस्ती

स्वास्थ्य विभाग

78	जननी बाल सुरक्षा योजना
79	नियमित टीकाकरण
80	स्वास्थ्य केन्द्रों में दी जाने वाली सुविधाएं
81	दवा/चिकित्सक/अन्य कर्मियों की उपलब्धता
82	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का 24 X 7 संचालन
83	कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम
84	नये ANM/GNM/Nursing College एवं Paramedical School की स्थापना

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

85	मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत स्टेडियम का निर्माण
86	पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण, अनुरक्षण एवं सौंदर्यीकरण

आपदा प्रबंधन विभाग

87	आपदा प्रभावित परिवारों को सहायता
----	----------------------------------

ऊर्जा विभाग

88	ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
89	मुख्यमंत्री विद्युत निश्चय योजना
90	दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना

गृह विभाग

91	कब्रिस्तान घेराबंदी
92	मंदिर घेराबंदी योजना

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

93	समेकित मुर्गी विकास योजना
94	समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना
95	दुग्ध संग्रहण केन्द्र की स्थापना
96	दुग्ध समितियों का गठन

विमान प्रावैधिकी विभाग	
------------------------	--

97	सरकारी नये संस्थानों को खोले जाने एवं उसकी स्वीकृति
----	---

जल संसाधन विभाग	
-----------------	--

98	सिंचाई क्षमता का विकास
----	------------------------

99	नहर पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण/लाइनिंग कार्य
----	--

गन्ना उद्योग विभाग	
--------------------	--

100	मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम
-----	-----------------------------------

अन्य (20-सूत्री कार्यक्रम)

अनुलग्नक-ख

01A	मनरेगा योजना के तहत रोजगार सृजन	
	01A01	निर्गत जॉब कार्ड की संख्या
	01A02	सृजित मानवदिवस की संख्या
	01A03	दी गई मजदूरी (लाख रु० में)
01F	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	
	01F01	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रोन्नत (नया एवं पुनरुज्जीवित) स्वयं सहायता समूहों की संख्या
	01F02	वित्तीय वर्ष के दौरान परिक्रामी निधि प्राप्त स्वयं सहायता समूहों की संख्या
	01F03	वित्तीय वर्ष के दौरान संचयी निधि से निवेशित स्वयं सहायता समूहों की संख्या
03E	भूमिहीनों को भूमि - वितरण	
	03 E 01	कुल वितरित भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
	03 E 02	अनु० जाति को वितरित कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
	03 E 03	अनु० जन जाति को वितरित कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
	03 E 04	अन्य को वितरित कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
04B	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम	
	04 B 01	किए गए निरीक्षणों की संख्या
	04 B 02	पाई गई अनियमितताओं की संख्या
	04 B 03	सुधार की गयी अनियमितताओं की संख्या
	04 B 04	दायर दावों की संख्या
	04 B 05	निपटारे गये दावों की संख्या
	04 B 06	लम्बित अभियोजन मामलों की संख्या
	04 B 07	दायर अभियोजन मामलों की संख्या
	04 B 08	निर्णीत अभियोजन मामलों की संख्या
05A	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	
	05 A 02	खाद्य सुरक्षा: लक्षित जन वितरण प्रणाली (ए०पी०एल० + बी०पी०एल० + ए०ए०वाई०)
	05 B 02	खाद्य सुरक्षा: गरीबी रेखा से नीचे (बी०पी०एल०)
	05 D 02	खाद्य सुरक्षा: अन्त्योदय अन्य योजना (ए०ए०वाई०)
	05 E 02	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन खाद्यान्न - सामान्य
	05 F 02	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन खाद्यान्न - आवश्यकता आधारित

06A	ग्रामीण आवास – इंदिरा आवास योजना
06 A 01	निर्मित आवास की संख्या
06B	शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग/निम्न आय समूह आवास
06 B 01	निर्मित आवास की संख्या
07A	ग्रामीण क्षेत्र – राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
07 A 03	आच्छादन बसावट – आंशिक एवं छुटा हुआ।
07 A 04	जल की गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों का आच्छादन
08D	निर्मल भारत अभियान
08 D 01	गृह वार शौचालय निर्माण की संख्या
08E	सांस्थानिक प्रसव
08 E 01	संस्थानों में प्रसव की संख्या
10A	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार
10 A 02	अनुसूचित जाति उप-योजना एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदत्त अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या
10 A 03	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या
12A	समेकित बाल विकास सेवा योजनाओं (आई०सी०डी०एस०) का वैश्वीकरण
12 A 01	कार्यान्वित आई०सी०डी०एस० ब्लॉक की संख्या (संचयी)
12B	क्रियाशील आंगनबाड़ियाँ
12 B 01	क्रियाशील आंगनबाड़ियों की संख्या (संचयी)
14A	सात-सूत्री चार्टर के अन्तर्गत सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों की संख्या
14 A 01	सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों की संख्या
15A	वनरोपण (सार्वजनिक एवं वन भूमि)
15 A 01	पौधा रोपण का क्षेत्रफल
15 A 02	रोपित पौध की संख्या
17A	ग्रामीण सड़क – प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY)
17 A 01	निर्मित सड़क की लम्बाई (किलोमीटर में)
18B	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)
18 B 01	विद्युतीकृत गाँव
18D	पम्प सेटों का ऊर्जाकरण
18 D 01	ऊर्जाकृत पंपसेटों की संख्या
18E	विद्युत आपूर्ति
18 E 02	की गयी विद्युत आपूर्ति

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव।

पटना-15, दिनांक-06 अगस्त, 2014

विषय : सरकार के कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु क्षेत्रीय भ्रमण एवं केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लेने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य में काफी पूर्व से विभागीय प्रधान सचिवों/सचिवों को जिलों का प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव बनाकर सरकार की योजनाओं की गहन समीक्षा की परंपरा है। इस सम्बन्ध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक-1732, दिनांक-29.11.2010 द्वारा निर्गत निदेशों में यह प्रावधान किया गया था कि जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव आवंटित जिलों में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। साथ ही इन जिलों में क्षेत्रीय भ्रमण कर कुछ योजनाओं का निरीक्षण करेंगे ताकि यह पता चल सके कि सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का लाभ जन-सामान्य को प्राप्त हो रहा है या नहीं। उपरोक्त पत्र द्वारा अपेक्षा की गयी थी कि सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने आवंटित जिले का भ्रमण माह में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से करेंगे। उसी पत्र में उल्लिखित है कि केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित बैठकों में बैठक की परासंगिकता एवं राज्य हित को देखकर ही भाग लिया जाय और अगर एक बार से ज्यादा राज्य के बाहर बैठक में भाग लेना हो तो मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

जिलों के भ्रमण के बाद भ्रमण के दौरान किये गये कार्रवाई के संबंध में एक टिप्पणी मुख्य सचिव एवं सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। बाद में इसमें जोड़ा गया कि उक्त टिप्पणी/प्रतिवेदन जिले के प्रभारी मंत्री महोदय को भी दिया जाय। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुरूप अब कार्रवाई लगभग ठीक सी हो गई है एवं इस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित निदेशों के अनुपालन की अपेक्षा है :-

- (i) जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव हर महीने कम से कम एक बार अपने आवंटित जिले का भ्रमण करेंगे। वहाँ चल रही मुख्य कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। साथ ही जिले के कुछ भागों का भ्रमण कर सरकार की कुछ योजनाओं का निरीक्षण करेंगे।
- (ii) ग्रामीण क्षेत्र के निरीक्षण में गरीब वर्ग के लोगों के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों के निरीक्षण को प्राथमिकता दी जायगी।

- (iii) निरीक्षण टिप्पणी/प्रतिवेदन मुख्य सचिव को संबोधित की जायगी और उसकी एक प्रति विकास आयुक्त एवं जिले के प्रभारी मंत्री महोदय को उपलब्ध करायी जायगी।
- (iv) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग प्राप्त टिप्पणी/प्रतिवेदन में उल्लेखित मुख्य बिन्दु पर विभिन्न विभागों द्वारा क्या कार्रवाई हुई इसका अनुश्रवण एक वरीय फ़दाधिकारी के माध्यम से करायेंगे। मुख्य सचिव के स्तर पर प्रधान सचिव/सचिवों के साथ होने वाली बैठक में की गई कार्रवाई की समीक्षा की जायगी।
- (v) केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय संस्थानों द्वारा आयोजित बैठकों में प्रधान सचिव/सचिव बैठक की प्रासंगिकता एवं राज्य हित को देखते हुए भाग लेंगे। रूटीन बैठकों में स्थानिक आयुक्त से भी भाग लेने का अनुरोध किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक होगा कि बैठक के लिए सामग्री उन्हें पूर्व से उपलब्ध करा दी जाय।
- (vi) केन्द्र सरकार से विभिन्न योजनाओं में अधिकाधिक राशि प्राप्त करने पर बल दिया जाय और इसके लिए प्रधान सचिव/सचिव को केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय में जाने की आवश्यकता हो तो अवश्य जायें। मैं इस बात की समीक्षा करूंगा कि किस विभाग में किस केन्द्रीय योजना या केन्द्र संपोषित योजना में कितनी राशि प्राप्त की गयी।
- (vii) प्रधान सचिव/सचिव केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेने के पश्चात् एक संक्षिप्त टिप्पणी स्थानिक आयुक्त के कार्यालय को भी भेजेंगे जो आवश्यक अनुश्रवण उक्त मंत्रालयों से करेंगे।
- (viii) सभी विभाग अपने प्रमुख निर्णयों एवं निदेशों की प्रति प्रभारी प्रधान सचिव/सचिवों को उपलब्ध करायेंगे।

राज्य की प्राथमिकताएं पूरे वर्ष एक समान नहीं होती - जैसे माह अगस्त के भ्रमण के लिए मेरे विचार से अन्य योजनाओं के अलावा सुखाड़ की समस्या, विद्युत आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अनुपालन, सड़क की मरम्मत एवं पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लिए चलाये जा रहे लाभकारी योजनायें होने चाहिए।

माह अगस्त से उपर्युक्त निदेशों का कठोरता से अनुपालन प्रारम्भ किया जाय। मुझे विश्वास है कि आप सब के जिलों के भ्रमण से विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के कार्यक्रम की गति बढ़ेगी एवं गुणवत्ता में सुधार आयेगा।

विश्वासभजन

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

125

79

मानिम्डल सचिवालय विभाग

ज्ञापक-3/सी0 एस0 एम0-09 विवेच/2012 400/दिनांक- 06/8/2012

प्रतिलिपि-विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमडलीय
आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव